न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 45/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 8.2.2023

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मृतक सूरजमल आ0 गोरीशंकर गुर्जर नि0 कसार तह0 लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायम मुकाम–

1/1– रूकमणी बाई पत्नी स्व0 सूरजमल

1/2– राधेरानी पुत्री स्व0 सूरजमल

1/3– विनोद कुमार आ0 स्व0 सूरजमल

जाति गुर्जर निवासीगण–कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

...अपीलार्थीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जाडपुरा जिला कोटा राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक –अपीलार्थीगण
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 9.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 4/2014 (प्रार्थना पत्र) बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा बनाम मृतक सूरजमल जरिये का0 मुका0–रूकमणी बाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 27.6.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थीगण को ग्राम कसार स्थित ख0 नं0 617 रकबा 1.00 है0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 20.7.2002 को आवंटन किया गया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध शिकायत होने पर अति0 जिला कलक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा मे ख0 नं0 617 मिन के आगे "उघोग हेतु प्रस्तावित" अंकित किये जाने पर भी अपीलार्थी के हक मे आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन अति0 जिला कलक्टर कोटा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं0 18/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2003 से निरस्त किया।

2 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 17.11.2005 से खारिज की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे अपील सं0 एलआर/6039/2005 पेश की गई जो निर्णय दिनांक 5.10.2009 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 17.11.2005 एंव जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 25.1.2003 अपास्त करते हुये, प्रकरण जिला कलक्टर कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी की गई उद्घोषणा से संबधित मूल पत्रावली एंव अपीलार्थी के आवंटन से संबधित मूल पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये यह पुनः विचार करेगे कि अति0 जिला कलक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप अथवा विपरीत दी है तथा वास्तव मे अपीलार्थी को जो आराजी आवंटित हुई है वह आवंटन नियमो एंव सार्वजनिक हित के विपरीत आवंटित की गई है एंव क्या वास्तव मे आवंटित आराजी की उद्घोषणा जारी करने से पूर्व अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित रखी गई थी अथवा नही और यदि रखी गई थी तो क्या

अति. सं. आयुक्त
कोटा

वर्तमान मे भी ऐसे आरक्षण की सार्थकता एव आवश्यकता है अथवा नही तथा क्या अपीलार्थी को विवादित आराजी निष्पक्ष एंव विधि सम्मत तरीके से आवंटित हुई थी अथवा नही ? इन बिन्दुओ पर विधिसम्मत तरीके से विचार कर नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करे।

3 अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील सं0 एलआर/6039/2005 मे पारित निर्णय दिनांक 5.10.2009 मे दिये गये रिमांड दिशा–निर्देशो की पालना मे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये संबधित आवंटन पत्रावली एंव उद्घोषणा की मूल पत्रावली तलबी हेतु तहसीलदार लाडपुरा एंव उपखण्ड अधिकारी को कई पत्र प्रेषित किये जाने उपरांत भी उक्त पत्रावलीयां उपलब्ध नही हुई किन्तु ग्राम कसार मे हुए आवंटन से संबधित शिकायत की अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा की गई जांच की पत्रावली प्राप्त कर तथा तहसीलदार लाडपुरा से वर्तमान कब्जे संबधी मौका रिपोर्ट रेकार्ड के साथ प्राप्त कर तथ्यों का परीक्षण कर ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 617 मि. के बटे नम्बर 617/2 रकबा 1.00 है0 भूमि किया गया आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 27.6.2022 से निरस्त किया गया।

4 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.6.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 5.10.2009 मे दिये गये निर्देशो की पूरी पालना नही कर निर्देशो के विपरीत निर्णय दिया है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 617 मिन की उद्घोषणा दिनांक 2.7.2002 मे केवल मात्र उघोग हेतु प्रस्तावित लिखा होने मात्र से आवंटन निरस्त कर त्रुटि की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह जांच करनी थी कि उघोग हेतु प्रस्तावित का आदेश किस अधिकारी व किस दिनांक का है इसी प्रकार उघोग हेतु प्रस्तावित होने मात्र से आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरअंदाज किया है कि ख0 न0 617/2 राजकीय प्रयोजनार्थ दर्ज होना वर्णित है तथा इस भूमि को उपखण्ड अधिकारी कोटा ने दिनांक 3.12.2010 को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित किया है जबकि अपीलांट को यह भूमि 2002 मे ही आवंटित हो चुकी थी जिससे उघोग के लिये आरक्षित नही माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील की रिपोर्ट के बाद अपीलांट को आपत्ति करने का मौका नही दिया गया तथा तहसील की रिपोर्ट की प्रति नही दी गई जिससे अपीलांट रिपोर्ट पर आपत्ति पेश नही कर सका। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

5 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 5.10.2009 मे दिये गये निर्देशो की पूरी पालना नही कर निर्देशो के विपरीत निर्णय दिया है। आवंटित भूमि उद्घोषणा दिनांक 2.7.2002 मे केवल मात्र उघोग हेतु प्रस्तावित लिखा होने मात्र से आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। इस तथ्य की भी जांच नही की कि उघोग हेतु प्रस्तावित आदेश किस अधिकारी ने किस दिनांक को दिया है। वादग्रस्त भूमि को उपखण्ड अधिकारी कोटा ने दिनांक 3.12.2010 को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित किया है जबकि अपीलांट को यह भूमि 2002 मे ही आवंटित हो चुकी थी जिससे उघोग के लिये आरक्षित नही माना जा सकता क्योंकि उक्त भूमि के आस पास आज भी कोई उघोग नही है अपितु आस पास कृषि कार्य हो रहा है। बहस मे आगे बताया कि तहसील की रिपोर्ट के बाद अपीलांट को आपत्ति करने का मौका नही दिया ना ही तहसील की रिपोर्ट की प्रति दी गई जिससे अपीलांट रिपोर्ट पर आपत्ति पेश नही कर सका। अंत मे अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल करने का अनुरोध किया।

7 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि दिनांक 2.7.2002 को जारी उद्घोषणा, सूची मे खसरा नम्बर 617 के आगे 'उघोग हेतु प्रस्तावित" लिखा हुआ था जिस कारण जांच अधिकारी अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट मे यह माना है कि उक्त लिखावट "उघोग हेतु प्रस्तावित" के कारण अपीलांट के अलावा अन्य लोगो ने उक्त खसरा नम्बर के आवंटन हेतु आवेदन नही किया इसके बाद भी आवंटन कमेटी द्वारा उक्त लिखावट को नजर अंदाज कर गलत तरीके से आवंटन किया जो प्रारम्भ से

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

दूषित होने से निरस्त योग्य है। तह0 लाडपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.5.22 अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 617/2 राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकार्ड है मौके पर भूमि खाली पडी हुई है आवंटी द्वारा पत्थर का कोट किया हुआ है किन्तु मौके पर काश्त नही की जा रही है ऐसी स्थिति मे आवंटन विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावे।

8 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय दिनांक 27.6.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपील सं0 एलआर/6039/2005 मे पारित रिमांड आदेश/निर्णय दिनांक 5.10.2009 के बिन्दुओ के मध्यनजर ग्राम कसार मे अपीलार्थी के हक मे किये गये आवंटन खसरा नम्बर 617 मि. कुल रकबा 5.10 है0 की उद्घोषणा के वक्त उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा क्रमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 मे आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची मे क्रम सं0 59 पर अंकित खसरा नम्बर 617 मि. कुल रकबा 5.10 है0 के सामने उद्योग हेतु प्रस्तावित की जाने, तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के आवंटन हेतु जिला कलक्टर कोटा से पत्र क्रमांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 से मार्गदर्शन चाहा गया था। जिसके संबध मे जिला कलक्टर कोटा द्वारा पत्रांक/प2 (2क) (9) राज0/मु0/11/02/4382 दिनांक 15.6.2002 मे स्पष्ट लिखा गया था कि उपरोक्त भूमियों को आरक्षित किये जाने की कार्यवाही जेरकार होने सेः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नही किया जावे। इसके बाद भी अपीलांट के हक मे आवंटन किया गया जो प्रारम्भ से दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। प्रकरण मे तहसीलदार लाडपुरा की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे ग्राम कसार के ख0 नं0 617 मि. तीन भागो मे विभक्त है ख0 नं0 617, 617/1, 617/2 दर्ज रिकार्ड है अपीलार्थी को भूमि आवंटन ख0 नं0 617 मि. मे से रकबा 0.40 है0 आवंटित किया गया। ख0 नं0 617 एंव 617/1 पर वेयर हाउस बने हुए है तथा खसरा नम्बर 617/2 भूमि किस्म बजड राजकीय प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड है एंव मौके पर भूमि खाली पडी हुई है आवंटी द्वारा पत्थर का कोट किया हुआ है। भूमि काश्त नही की जा रही है। भूमि का कृषि उपयोग व उपभोग न होने से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमान्तर्गत नही है। ख0 नं0 617/2 से 2 कि.मी. की दूरी पर गोयल प्रोटीन्स लि0 उद्योग स्थित/संचालित है यानि भूमि औद्योगिक क्षैत्र से प्रभावित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटी के हक मे दिनांक 20.7.2002 को ग्राम कसार स्थित ख0 नं0 617 मि. के बट्टे नं0 617/2 रकबा 1.00 है0 भूमि का किया गया आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) अन्तर्गत जेरअपील निर्णय दिनांक 27.6.2022 से खारिज किया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का यह तर्क कि "आवंटित भूमि की उद्घोषणा मे केवल मात्र उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा होने मात्र से उद्योग के लिये आरक्षित मानते हुये आवंटन निरस्त नही किया जा सकता क्योंकि उक्त भूमि के आस पास आज भी कोई उद्योग नही है अपितु आस पास कृषि कार्य हो रहा है"। पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो एंव तहसीलदार लाडपुरा की मौका रिपोर्ट तथा रेकार्ड के अनुसार आधारहीन तथा विधि विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण मे पारित रिमांड आदेश/निर्णय दिनांक 5.10.2009 के बिन्दुओ के मध्यनजर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय 27.6.2022 पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा